

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 418/2019

रेखाराम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी
बनाम्

- 1. नत्थूराम पुत्र रतिराम } जाति मेघवाल निवसीयान डबलीकला तहसील टिब्बी
- 2. मनीराम } पि0 नत्थूराम } जिला हनुमानगढ।
- 3. भानीराम }
- 4. सरोज पुत्री तारादेवी पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी गोलूवाला तहसील गोलूवाला जिला हनुमानगढ।
- 5. अमरावती पुत्री तारादेवी पत्नी महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी गोलूवाला तहसील गोलूवाला जिला हनुमानगढ।
- 6. राजेन्द्र पुत्र भालाराम जाति मेघवाल निवासी ललाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7. हसराम पुत्र औमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं0 1 नत्थूराम के नाम से चकनं0 4 आरपी खाता सं0 46 में कुल 3.011 है0 व चकनं0 5 आरपी के खाता सं0 33/73 में कुल 2.505 है0 कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादीसं0 2 व 3 को ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम से ब0हि0ब0 अंकन कर चकनं0 4 आरपी खाता सं0 46 में व चकनं0 5 आरपी के खातासं0 33/73 में से प्रतिवादीसं0 1 नत्थूराम का नाम कलमजंन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 19/12/19को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी